

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : १३/०३/१९

विषय :— मॉग संख्या—५०—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—४७०२—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष—७९६—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष—२७—ई.गवर्नेस, विस्तृत शीर्ष—०३—प्रशासनिक व्यय, १७—मशीनरी एवं उपकरण, विपत्र कोड—५०S470200796270317 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :— प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या—७५/१८-१९, दिनांक—०६.०३.२०१९

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट—१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
१	२	३	४	५
१.	५०—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) /४७०२—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	७९६—जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / २७—ई.गवर्नेस,	०३—प्रशासनिक व्यय, १७— मशीनरी एवं उपकरण, ५०S470200796270317	३.००

आवंटित राशि – ₹ तीन लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१८-१९ के बजट उपबंध ₹ ३०.०० लाख (₹ तीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय राज्याधीन अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ एवं १३६३(वि.) दि. ०९.०५.२०१६ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत परिशिष्ट—१ में अंकित विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

२११

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


१३/०३/१९
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(आर.एस. तिगा)
अभियंता प्रमुख-२

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. विहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrendr No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।



 (अरुण कुमार सिंह) 12.3.19
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 209

रॉची, दिनांक :— 13/03/19

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.— हिन्दू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।



 (अरुण कुमार सिंह) 12.3.19
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 209

रॉची, दिनांक :— 13/03/19

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्या-7 को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।


 (राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)


 (रमेश कुमार दूबै)

विशेष सचिव

(आर.एस. तिगा)

अभियंता प्रमुख-2


 (अरुण कुमार सिंह) 12.3.19

अपर मुख्य सचिव

पत्रांक - २०९ / रॅची, दिनांक - १३/०३/१९

मांग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग),
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूर्जीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उपशीर्ष-27-ई. गवर्नेंस,

विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय, १७-मशीन एवं उपकरण,

विपत्र कोड-50S470200796270317

बजट उपबंध (वर्ष 2018-19) रु. 30.00 लाख

(लाख ₹ में)

क्र. कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थिरता का			मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अस्युक्ता
			प्रसंग	राशि	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 लघु सिंचाई प्रमाणल (RNCMIR001)	लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में E-Governance मद में उपकरणों के ऋण हेतु।	जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में Online AA-2287/06.03.19	75/18-19, प्र०स्वी० रॅची, दिनांक-06.03.2019	3.000	0.00	0.00	3.00	3.00	100990	आवंटित राशि के व्यय परिशिष्ट-2 के अनुरूप किया जायेगा।	
आवंटित राशि - ₹ तीन लाख मात्र।											

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (आमिल)

(रमेश कुमार द्वे)
विशेष सचिव

(आर.एस. तिगा)
अभियंता प्रमुख-2

(अरुण कुमार सिंह)
अप्र मुख्य सचिव
12.3.19

पत्रांक :— 209 दिनांक 13/3/19 का अनुलग्नक परिशिष्ट — 2

विपत्र कोड—50S470200796270317

क्र०	प्रमंडल का नाम	उपकरण/कार्य का नाम	संख्या	राशि	कार्यालय का नाम जिसके लिए उपकरणों का क्रय किया जाना है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, रायपुर (RNCMTR001)	Laptop Core i5, RAM 8GB, Hard Disk-1TB, Window 10 Professional OS	2	105000.00	अधीक्षण अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3, राँची	
		Photo Copier (Duplex)	1	97500.00	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची	
		Photo Copier (Duplex)	1	97500.00	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग	
			Total	300000.00		

आवंटित राशि — ₹ तीन लाख मात्र।

३२८

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

१३/३/१९

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

२८
(आर.एस. तिग्गा)
अभियंता प्रमुख-2

12.3.19
(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव